

नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक/चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन बाबत निर्धारित मापदण्डों की चैक लिस्ट।

पार्ट (अ) सामान्य सूचनाएं

आवेदक का नाम/पता	श्री सहस्र बाहु अर्जुन कलाल सेवा ट्रस्ट
शहर/कस्बे/कॉलोनी का नाम जहां भूमि चाही गई है।	कोटा
चाही गई भूमि का विवरण (राजस्व ग्राम/कॉलोनी का नाम खसरा नम्बर, क्षेत्रफल आदि)	कोटा परिसर में 4000 वर्गमीटर
आवेदनकर्ता संस्था के रजिस्ट्रेशन की दिनांक व अन्य विवरण	308 / दिनांक 18-12-2013
संस्था का गत तीन वर्षों का आय-व्यय विवरण तथा गतिविधियों का लेखा जोखा	संतान है
संबंधित आवेदक संस्था द्वारा किये गये/किये जा रहे कार्यों का विवरण	संविधान की संलग्न भाग में उल्लेख
चाही गई भूमि के उपयोग बाबत परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत व आर्थिक संसाधनों का विवरण।	संतान है

पार्ट (ब) रियायती दर पर आवंटन के औचित्य की सूचनाएं

परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व क्या लाभ मिलेगा।	समाज के असहाय एवं कमजोर वर्गों के साथ भूमि की वृत्तमान में ट्रस्ट के पास कोई भूमि नहीं है एवं नोर्मस प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं संविधान में उल्लेख है।
आवंटित किये जा रहे क्षेत्रफल का औचित्य एवं इस बाबत नोर्मस	नहीं
क्या संस्था को पूर्व में कभी इसी शहर में भूमि आवंटित की गई थी। यदि हां तो निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया का नाम, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल	नहीं
संबंधित निकाय द्वारा किस दर पर संस्था को आवंटन का निर्णय लिया गया।	-
आवेदक संस्था द्वारा आवंटन के पेटे कितने प्रतिशत व कितनी राशि किस दिनांक को संस्था में जमा करवायी गई।	-
चाही गई विकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर	नियमानुसार
चाही गई अविकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर।	- " -
चाही गई भूमि नगर निगम/नगर परिषद/स्थानीय निकाय सीमा के अन्दर स्थित है अथवा बाहर	कोटा नगर निगम परिसर में
आवेदक संस्था के पदाधिकारियों/सदस्यों/प्रमोटर्स का विवरण तथा इनके साथ संबंधी विवरण	संतान है
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण	नहीं
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य वित्तीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण	नहीं
आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य	वर्तमान में ट्रस्ट के पास कोई भूमि नहीं है।
आवेदक संस्था को आरक्षित दर से कम दर पर भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य एवं कितनी रियायत दिया जाना अपेक्षित है एवं कार्यों के संबंध में विवरण	ट्रस्ट के पास वर्तमान में आय के स्तर में नदी टोना किन्तु ट्रस्ट सदस्यों एवं समाज के अग्रजों के कार्य संपादन अतः अधिकतम आरक्षित दर की छूट पर भूमि दी जावे।
यदि आवेदक संस्था प्रीमियर संस्था की श्रेणी में आती है तो संस्था द्वारा किये जाने वाली विनिवेश राशि का विवरण	नहीं
आवंटन करने वाले निकाय का अभिमत	
क्या प्रश्नगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विद्यमान है अथवा स्थगन आदेश प्रभावी है।	
अन्य विवरण	

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015

अध्यक्ष
सहस्रबाहु अर्जुन कलाल सेवा ट्रस्ट
राजपुर रोड, जगपुरा, कोटा (राज.)

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम :- सूर्यवंशी क्षेत्रीय दर्जी विकास समिति मंदिर मुरली मनोहर, सती चबूतरा, कोटा
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) :- राजेश नामा
3. डाक पता, टेलिफोन नं., मोबाईल नं., व मेल आई.डी. आदि :- 99284-73425
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य :- क्षात्रावास हेतु
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) :- 0.50 बीघा
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) :- 753 वर्ग मी.
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों का संक्षिप्त विवरण
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण :- नहीं
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
 - i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
 - ii. बाईलॉज/रेग्युलेशन
 - iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बलेन्स शीट
 - iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा उसका उल्लेख हो।
 - v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)
 - vi. रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिशाषी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो। :-

11.4.2008 को जमा हैं जिसकी पास-बुक की छाया प्रति संलग्न हैं।

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएँ मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतन्त्र रहेगा।

दिनांक

स्थान

नाम व पद

सूर्यवंशी क्षेत्रीय दर्जी विकास समिति (राज.)

 अधिकृत

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक/चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि-आवंटन बाबत निर्धारित मापदण्डों की चैक लिस्ट।

पार्ट (अ) सामान्य सूचनाएं

आवेदक का नाम/पता	Dr Ved Prakash Gupta
शहर/करबे/कॉलोनी का नाम जहां भूमि चाही गई है।	KOTA IALSFST
चाही गई भूमि का विवरण (राजस्व ग्राम/कॉलोनी का नाम खसरा नम्बर, क्षेत्रफल आदि)	New Kola R.K.Puram
आवेदनकर्ता संस्था के रजिस्ट्रेशन की दिनांक व अन्य विवरण	Enclosed
संस्था का गत तीन वर्षों का आय-व्यय विवरण तथा गतिविधियों का लेखा जोखा	Enclosed
संबंधित आवेदक संस्था द्वारा किये गये/किये जा रहे कार्यों का विवरण	Enclosed
चाही गई भूमि के उपयोग बाबत परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत व आर्थिक संसाधनों का विवरण।	Enclosed

पार्ट (ब) रियायती दर पर आवंटन के औचित्य की सूचनाएं

परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व क्या लाभ मिलेगा।	समाज के सभी लोग को
आवंटित किये जा रहे क्षेत्रफल का औचित्य एवं इस बाबत नॉर्मस	Project Report attached
क्या संस्था को पूर्व में कभी इसी शहर में भूमि आवंटित की गई थी। यदि हां तो निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया का नाम, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल	NO
संबंधित निकाय द्वारा किस दर पर संस्था को आवंटन का निर्णय लिया गया।	
आवेदक संस्था द्वारा आवंटन के पेटे कितने प्रतिशत व कितनी राशि किस दिनांक को संस्था में जमा करवायी गई।	Registration fee of 15% of 2000000 & Application fee 6000000
चाही गई विकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर	
चाही गई अविकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर।	
चाही गई भूमि नगर निगम/नगर परिषद/स्थानीय निकाय सीमा के अन्दर स्थित है अथवा बाहर	
आवेदक संस्था के पदाधिकारियों/सदस्यों/प्रमोटर्स का विवरण तथा इनके साथ संबंधी विवरण	Enclosed in trust
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण	control of 13th schedule supply safety & quality etc
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य वित्तीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण	NO
आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य	to supply fresh and healthy water to suffer.
आवेदक संस्था को आरक्षित दर से कम दर पर भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य एवं कितनी रियायत दिया जाना अपेक्षित है एवं कार्यों के संबंध में विवरण	
यदि आवेदक संस्था प्रीमियर संस्था की श्रेणी में आती है तो संस्था द्वारा किये जाने वाली विनिवेश राशि का विवरण	
आवंटन करने वाले निकाय का अभिमत	
क्या प्रश्नगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है अथवा स्थगन आदेश प्रभावी है।	NO
अन्य विवरण	